कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा / माध्य / मा–स / विविध / दिवस / 2018 / 29 दिनांकः 12.06.2019

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा

विषय :– दिनांक : 21 जून, 2019 को आयोजित होने वाले "अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस" के आयोजन के सम्बन्ध में सहभागिता बाबत्।

प्रसंग :– शासन संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर का पत्रांक : पं.24(36)शिक्षा–6 / 2015 योग दिवस दिनांकः 10.06.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक : 21 जून, 2019 को आयोजित होने वाले "अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस" के आयोजन के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग द्वारा पूर्ण सहभागिता की जानी है। इस सम्बन्ध में निम्नांकित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें :–

01. समस्त राजकीय विद्यालयों को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के एक दिवस पूर्व अर्थात् दिनांक : 20.06.2019 को खोलने के निर्देश जारी किए जावें ताकि संस्था प्रधानों व विद्यालय स्टाफ को आयोजन की तैयारियों का समय मिल सकें।
02. ग्राम पंचायत स्तर पर दिनांक 21 जून, 2019 को प्रातः 7.00 से 8.00 बजे तक एक घण्टे के लिए योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इसके लिए पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इसमें समस्त विद्यालयों के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की अधिकाधिक भागीदारी हो।
03. ग्रीष्मावकाश के कारण जो शिक्षक पदस्थापन मुख्यालय से दुरस्थ गृह स्थान पर प्रस्थान कर गए हो और पदस्थापन वाले विद्यालय में योग दिवस के अवसर पर अपरिहार्य कारणों से आने में असमर्थ हो, वे अपने गृह स्थान के निकटतम विद्यालय के योग दिवस कार्यक्रम में आवश्यक रूप से भाग लेंगे।
04. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि जिले में स्थित समस्त निजी विद्यालयों की अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में पूर्ण भागीदारी हो।
05. राज्य के समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे जिला स्तर पर जिला आयुर्वेद अधिकारी / जिला कलेक्टर द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन हेतु आहूत बैठकों में अपने जिले में पदस्थापित समस्त शारीरिक शिक्षकों की ब्लॉकवार एवं विद्यालयवार सूची भी लेकर जावें। यदि जिले में योग प्रशिक्षित अन्य शिक्षक भी उपलब्ध हो तो उनकी सूची भी लेकर जावें। साथ ही यदि जिला स्तर पर योग प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जाते है तो उक्त प्रशिक्षणों में आवश्यकतानुसार शिक्षकों के प्रशिक्षण भी करवाएं ताकि प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा की योग करवाया जायें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–6)विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. अति0 राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को क्षेत्राधिकार में प्रभावी प्रबोधन एवं समुचित पर्यवेक्षण हेतु।
6. सहायक निदेशक, सामान्य प्रशासन अनुभाग, कार्यालय हाजा को यथावश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
9. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)

E:\Genral letter.docx

Scanned by CamScanner